भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3220
दिनांक 18.12.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की आपूर्ति

†3220. श्री बिद्युत बरन महतोः
श्री लुम्बाराम चौधरीः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) ग्रामीण क्षेत्रों में आपूर्ति किए जाने वाले पेयजल की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और
(ख) क्या आज की तिथि के अनुसार जल जीवन मिशन के अंतर्गत कोई राज्य या जिले पिछड़ रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन्हें कितनी सहायता प्रदान की जा रही है?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति
(श्री वी. सोमण्णा)

(क) और (ख): जल जीवन मिशन (जेजेएम) - हर घर जल अगस्त 2019 में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की भागीदारी से ग्रामीण परिवारों के लिए पर्याप्त मात्रा में, निर्धारित गुणवत्ता की नियमित तथा दीर्घकालिक आधार पर पीने योग्य नल जल आपूर्ति का प्रावधान करने के लिए शुरू किया गया था। पेयजल राज्य का विषय होने के कारण, जल जीवन मिशन के अंतर्गत आने वाली स्कीमों सहित पेयजल आपूर्ति स्कीमों की आयोजना, डिजाइनिंग, अनुमोदन, कार्यान्वयन, संचालन एवं रखरखाव का उत्तरदायित्व राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों का है। भारत सरकार तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों के प्रयासों में सहायता करती है।

जल जीवन मिशन के तहत, मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार, भारतीय मानक ब्यूरो के बीआईएस: 10500 मानकों को जलापूर्ति योजनाओं के माध्यम से आपूर्ति किए जा रहे जल की गुणवत्ता के लिए बेंचमार्क के रूप में अपनाया जाता है। कार्यसंबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार, राज्य/संघ राज्य

क्षेत्र जल गुणवत्ता निगरानी और पर्यवेक्षण (डब्ल्यूक्यूएम एंड एस) गतिविधियों के लिए जेजेएम के तहत धनराशि के अपने वार्षिक आवंटन का 2 प्रतिशत तक उपयोग कर सकते हैं, जिसमें *अन्य बातों के साथ-साथ* जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना और सुदृढ़ीकरण, उपकरणों, उपस्करों, रसायनों, कांच के बने सामान, उपभोग्य सामग्रियों की खरीद, कुशल जनशक्ति को काम पर रखना, फील्ड टेस्ट किट (एफटीके) का उपयोग करके समुदाय द्वारा निगरानी, जल गुणवत्ता के संबंध में जागरूकता लाना, शैक्षिक कार्यक्रम आयोजित करना, प्रयोगशालाओं का प्रत्यायन/मान्यता आदि शामिल हैं।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, आज की तारीख में विभिन्न स्तरों अर्थात् राज्य, क्षेत्रीय, जिला, उप-मंडल, ब्लॉक स्तर पर, मोबाइल और/या डब्ल्यूटीपी सुविधा प्रयोगशालाओं के स्तर पर 2,848 पेयजल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाएं हैं। ग्रामीण समुदाय/जनता के लिए जल गुणवत्ता परीक्षण को बढ़ावा देने के लिए, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने आम जनता के लिए नाममात्र दर पर उनके पानी के नमूनों के परीक्षण के लिए जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाएं खोली हैं।

विभाग ने मार्च 2023 में प्रकाशित "पेयजल शोधन प्रौद्योगिकियों संबंधी पुस्तिका" और दिसंबर 2024 में प्रकाशित "ग्रामीण परिवारों को पाइपगत पेयजल आपूर्ति की जल गुणवत्ता की निगरानी के लिए संक्षिप्त पुस्तिका" जारी की। दोनों का उद्देश्य सुरक्षित जल आपूर्ति प्रणाली के प्रभावी प्रबंधन में फील्ड प्रैक्टिशनर्स का मार्गदर्शन करना है।

राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों में नल कनेक्शन के कवरेज की निगरानी के लिए, इस विभाग ने एक ऑनलाइन जेजेएम डैशबोर्ड विकसित किया है जो राज्य/संघ राज्य क्षेत्र, जिला और गांव-वार प्रगति के साथ-साथ ग्रामीण घरों में नल जल आपूर्ति के प्रावधान की स्थिति प्रदान करता है। जल जीवन मिशन के शुभारंभ के बाद से ग्रामीण परिवारों तक नल जल की पहुंच बढ़ाने की दिशा में देश में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। अगस्त 2019 में जल जीवन मिशन की शुरुआत में, केवल 3.23 करोड़ (16.72%) ग्रामीण परिवारों के पास नल जल कनेक्शन होने की सूचना थी। अब तक, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, जेजेएम के तहत 12.52 करोड़ से अधिक और ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। इस प्रकार, 16.12.2025 तक, देश के 19.36 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से 15.76 करोड़ (81.42%) से अधिक परिवारों के पास उनके घरों में नल जल आपूर्ति होने की सूचना है। नल कनेक्शनों का राज्य-वार और जिला-वार विवरण पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है और इसे निम्न लिंक पर देखा जा सकता है:

https://ejalshakti.gov.in/jjmreport/JJMState.aspx

***